

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 356

6 Baishakh, 1941(S)

Ranchi, Friday, 26th April, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 25th April, 2019

Notification No. 12/2019 - State Tax

- **S.O. No. 39 Dated 26th April, 2019 --** In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from April, 2019 to June, 2019 till the eleventh day of the month succeeding such month.
- 2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.
- 3. This notification shall be deemed to be effective from 7th March, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 01/ 2019] By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar, Secretary-cum-Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 25 अप्रैल, 2019

अधिसूचना संo. 12/2019- राज्य कर

एस. ओ. सं. 39 दिनांक 26 अप्रैल, 2019— आयुक्त ,झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017) 2017 ,का) (12जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा (168 के साथ पठित धारा के दूसरे परंतुक द्वारा (1) की उपधारा 37 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त 1.5 धिक हैकरोड़ रुपयों से अ, अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उस मास के उत्तरवर्ती मास के वें दिन तक11, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ,के अधीन प्ररूप जीएसटीआर1- में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने की समय सीमा को विस्तारित करते हैं।

.2 उक्त अधिनियम की धारा के (1) की उपधारा 39 और धारा (2) की उपधारा 38 अधीन जुलाई, 2017 से जून, 2019 मास के लिए यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना ७ मार्च, २०१९ से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .॰कर/जी॰एस॰टी॰/01/2019] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार, सचिव-सह-आयुक्त ।
